संख्या-106/2020/139/22-2-2020-17(310)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊः दिनांक 12 मार्च, 2020***

विषयः- आजीवन कारावास से दण्डित बंदियों की प्रत्येक गणतन्त्र दिवस (26 जनवरी 2020) के अवसर पर केन्द्रीय कारागार, नैनी,प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामकिशोर पुत्र श्री महावीर, निवासी-जनपद-फतेहपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1308/प्रोवेशन-6/147/26 जनवरी, 2020 दिनांक 13.01.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आजीवन कारावास से दण्डित बंदियों की प्रत्येक गणतन्त्र दिवस (26 जनवरी 2020) के अवसर पर केन्द्रीय कारागार, नैनी,प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामकिशोर पुत्र श्री महावीर, निवासी-जनपद-फतेहपुर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दिनांक 24/25.03.1979 को पुरानी रंजिश को लेकर अपने अन्य 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चे से गोली मारकर शम्भू नामक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा ओम प्रकाश नामक व्यक्ति को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-204/79 धारा-302,149,148 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-05, फतेहपुर के आदेश दिनांक 31.10.1981 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.01.2020 तक 16 वर्ष 00 माह 13 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 05 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बंदी का जेल आचरण **वर्तमान में असंतोषजनक** है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की असंतोषजन जेल आचारण एवं शासनादेश दिनांक 01 अगस्त, 2018 के प्रस्तर-3(7) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रामकिशोर पुत्र श्री महावीर की समयपूर्व रिहाई की **संस्तुति नहीं की गयी** है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रामकिशोर (बंदी संख्या-479/05) पुत्र श्री महावीर, निवासी जनपद-फतेहपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-106/2020/139(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी,प्रयागराज ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in